राजस्थान राज्य औधोगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.
उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302015

परिपत्र

क्रमांक : आईपीआई / एमएण्डसी / 141 / 2011/146
दिनाक : 14 फरवरी, 2013

जनजाति बाहुल्य जिले बांसवाडा, डूंगरपुर एवं सिरोही में क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना 2009–10 लागू की गई थी जिसमें योजनान्तर्गत नियमानुसार निर्धारित समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ करने पर पुर्नभरण के रूप में प्रोत्साहन राशि देय थी। इस योजनान्तर्गत कुल बजट राशि 10 करोड रूपये एवं योजना की अवधि 31.12.12 तक थी एवं आवेदक पात्रता तिथि से 30 दिवस में अपना क्लेम मय सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है । इसी प्रकार औधोगिक दृष्टि से पिछडे जिले करोली, सवाईमाधोपुर, धोलपुर, बांरा तथा प्रतापगढ में क्षेत्रीय औधोगिकरण प्रोत्साहन योजना (पिछडे जिले) 2011–12 लागू की गयी थी। जिसमें योजनान्तर्गत नियमानुसार निर्धारित समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ करने पर पुर्नभरण के रूप में प्रोत्साहन राशि देय है। इस योजनान्तर्गत कुल बजट राशि 5 करोड रूपये एवं योजना की अवधि 31.03.13 तक है।

प्रायः यह देखा गया है कि इकाई कार्यालयों द्वारा छोटे–छोटे कारणों जैसे –सेट बेक में अनाधिकृत निर्माण कार्य कर लेना इत्यादि के कारण आवंटी को दी जाने वाली प्रोत्साहन स्वीकृत नहीं की जा रही है । राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों एवं औधोगिक दृष्टि से पिछडे जिले में औधोगिकरण को बढावा देने के उद्देश्य से उक्त योजनाएं लागू की गयी है । अतः इकाई कार्यालयों की इस प्रकार की कार्यवाही योजना की मूल भावना के विपरीत है। अतः सभी इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में आवंटियों की रीको नियमों के अनुसार कार्यवाही का अलग से निस्तारित किया जावें एवं आवंटियों को देय प्रोत्साहन राशि नहीं रोकी जावें । साथ ही इकाई प्रभारी, प्रोत्साहन राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि राशि के लिए बजट उपलब्ध है एवं प्रकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आता है एवं आवंटी अन्यथा पात्रता रखता हो।

उक्त परिपत्र प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति अनुसार जारी किया जा रहा है ।

सलाहकार (इन्फ्रा) 13